

11/3
22

नकील नारी खण ने प्रावण अन्तर्गत
आदेश 23 नियम 1 जारी करके
करने बाद पत्र पेश किया गया। जिस
पर पत्रपत्नी को तारीख पेशी ले
लाना किया गया। नकील नारी हुक्म
मुद्दमे को चलाना नहीं चाहता है
व अतिरिक्त में आवश्यकता होने पर
दूसरा बाद व कार्यवाही करने का
आवेदन सुरक्षित रखते हुए बादपत्र
बिज्ञा करने चाहता है। पत्रपत्नी का
अवलोकन किया उक्त पत्र को
अतिरिक्त में दूसरा बाद व कार्यवाही
करने का आवेदन सुरक्षित रखते
हूए बाद बिज्ञा करने की अनुमति
दी जाती है। बाद का बाद इसी
अनुसार खारिज किया गया है। पत्रपत्नी
फैसल शुमा होर नम्बर ले कम
होर अपील प्रारिष्ट ही

5

उप खण्ड अधिकारी
दीपा (राज.)

